न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

हथौड़ी थाना काण्डसं0 57/19, कम्पयूटर निबंधन सं0 638/19

23.11.19 आवेदक **1. अमित कुमार राय एवं 2. बमबम कुमार राय,** जो हथौड़ी थाना काण्ड सं0 57/19, धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत अभियुक्त है, की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन साथ वकालतनामा के दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान वि0 लोक अभि0 को भी दी गयी। जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधाकर राय जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नही किया हैं उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसका जमानत मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा क्रि0मिस0 51774/19 में पारित आदेश दि0 4.11.19 से हो चुका है। अतः उसे बंद्य–पत्र दाखिल करने की अनुमति देने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर उपलब्ध मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा क्रि0मिस0 51774/19 में पारित आदेश दिनांक 4.11.19 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्तगण को मो0 पच्चीस हजार रू0 के बंद्य–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर दं0प्र0सं0 की धारा–438(2) में वर्णित शर्तो के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त करने का आदेश है।

अतः उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्तगण को बंद्य–पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद